105

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 264–दो / 2007 विरूद्ध आदेश, दिनाक 18–1–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 732 / बी–121 / 2005–06.

श्री आर्शीवाद सांई मन्दिर मूर्ति
श्री सांई भगवान द्वारा पण्डित राकेश
दीक्षित पुत्र श्री छेदीलाल दीक्षित
1224 मालगोदाम चौक तहसील व जिला जबलपुर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

–अनावेदक

श्री एस0 पी0 धाकड अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 732 / 2005–06 / बी–121 में पारित आदेश दिनांक 18–1–2007 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर म0 प्र0 की याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0एन07683/06 में पारित आदेश दिनांक 29–5–2005 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निगरानीकर्ता द्वारा समयावधि के अन्दर अभ्यावेदन कलेक्टर जिला जबलपुर को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 246/05–06/बी–121 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 8–6–2006 निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया गया । कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2006 से परिवेदित होकर अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 732/05–06/बी–121 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 18–1–2007 से निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी । अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2007 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नजूल भूमि में न होकर माल गोदाम चौक फारेस्ट कम्पाउण्ड के पास जबलपुर में स्थित है । पुजारी द्वारा ही माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही समयावधि के अन्दर कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया गया था, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा भूल की गयी है । इस संबंध में कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि (मंदिर) मुख्य सडक एवं शासकीय भूमि पर स्थित है । जिस भूमि पर मंदिर स्थित है, उक्त भूमि निगरानीकर्ता को बंटित नहीं की जा सकती है ।

निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि के बदले में रानी दुर्गावती शासकीय चिकित्सालय परिसर के अन्दर की है, इसलिये यह भूमि भी निगरानीकर्ता को बंटित नहीं की जा सकती है । इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है । अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील को निरस्त करने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2007 विधिसम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण यथावत रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर